राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव
(R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
91 / 2024	18 / 09 / 24	13 / 12 / 2024

1. हिम्मत सिंह उम्र करीब 44 साल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज०

---प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (लेण्ड होल्डर) मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला–अलवर प्रान्त राजस्थान ।

----अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा
136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित – श्री पृथ्वीसिंह यादव

–: निर्णय :–

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, उक्त आराजी ख0न0 654 रकबा 1.20 हैव0, 1321 रकबा 2.21 हैव0, 1323 रकबा 1.10 हैक० किता 3 रकबा 4.51 हैक0, 630 रकबा 0.35 हैक0, 1318 रकबा 1.04 हैक0, 1319 रकबा 0.83 हैक० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आ० कहलायेगी। आ० ख०न० 1318 रकबा 1.04 हैव० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर का दिनांक 28/07/1997 को तथा आ० ख0न0 1319 रकबा 0.83 हैक० वाक ग्राम श्रीकृष्णनगर का दिनांक 23/07/99 को जर्ये रजिस्टर्ड वैयनामा खरीद किया था मिनवादी के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, भामासाह कार्ड, राशन कार्ड आधार कार्ड जन आधार

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड, तथा प्राथी के ट्रक्टर की आर० सी० इत्यादि में हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है चूंकि मिनवादी को गांव में हेमराज व हिम्मत सिंह दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है मिनवादी ग्रामीण व कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो हस्ताक्षर करना जानता है वैयनामा लिखवाते समय गांव के पढे लि व्यक्ति जो साथ गये थे उन्होने बैयनामा टाईप करने वाले को जो (हेमराज पुत्र रामचन्द्र) बताया वह बैयनामा में लिखा गया वांदी/प्रार्थी द्वारा कराये गये वैयनामा की तारीख 28/07/97 व 23/07/99 के समय बैयनामा के साथ आई०डी सम्बंधी दस्जावेज नहीं लगाये जाते थे केवल दो गवाहों द्वारा क्रेता व विक्रेता की पहचान की जाती थी इस कारण से बैयनामा लिखने वाले (डीड राईटर / टाईप राईटर) द्वारा सहवन से की गयी त्रुटि सहित उक्त दोनो बैयनामा तस्दीक हो गये और उसी अनुसार त्रुटि शुदा दोनो वैयनामा के आधार पर प्रार्थी का नाम (हेमराज पुत्र रामचन्द्र) ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया तथा हाल ख0न0 1318 1319 654, 1321, 1323, 630 के राजस्व रिकार्ड में गांव में बोलता नाम हेमराज होने के कारण हिम्मत सिंह के बजाय सहवन से हेमराज दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम सभी दस्तावेजों में हिम्मत सिंह है. हेमराज सहवन से गलत दर्ज चला आ रहा है जो प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रार्थीगण/वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है काबिल दुरुस्ती है। मिन वादी/प्रार्थी को गांव में हेमराज व हिम्मत सिंह दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है मिन वादी अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है जिसके मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड राशन कार्ड जन आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में सदैव से हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है तथा कुछ हाल ख0न0 1318 1319, 654, 1321, 1323, 630 भूमि के राजस्व रिकार्ड में भी हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। लेकिन गांव में बोलता नाम हेमराज होने के कारण कुछ आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा आ० ख0न0 1318 व 1319 मिनवादी ने अपने नाम से खरीद किया था जिसमें बैयनामा कराते समय हेमराज पुत्र रामचन्द्र बताया गया तथा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हेमराज पुत्र रामचन्द्र लिखा गया लेकिन बैयनामा का अमल करते समय राजस्व कर्मचारियों ने हेमराज पुत्र रामचन्द्र दर्ज कर दिया जो गलत है मिन वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है ना काबिल पाबंदी है काबिल दुरूस्ती है। प्रार्थीगण/वादीगण की आराजी विवादित उक्त ख० नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में त्रुटि होने से मिन वादीगण की स्वयं की कब्जेकास्त खातेदारी की कृषि भूमि के बाबत सरकार से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लाम प्रधानमंत्री योजना से मिलने वाली राशि तथा कृषि ऋण जैसे लाभ वादीगण नहीं प्राप्त कर पा रहे है वादी ने अपने राजस्व रिकार्ड में नाम हिम्मत सिंह के स्थान पर गलत नाम जो हेमराज दर्ज है को दुरुस्त कराने का अप्रार्थी न० 1 के समक्ष कई बार उपस्थित होकर प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण/अप्रार्थी ने दि० 2/09/24 को इंकार कर दिया तथा अदालत के आदेश लाने को कहा तो अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट 1956 पेश करना आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आया है। अतः प्रा०पत्र/वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण/वादीगण का नाम आ० हाल ख० न० 654, 1321, 1323, 630 1318, 1318 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० के राजरद रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे, इसी प्रकार तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रिकार्ड कर अप्रार्थीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने पटवारी हल्का से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त की पटवारी ने अपने जवाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम सही करने की अभिशंषा प्रस्तुत की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल हाल जमाबन्दी , परिवार राशन कार्ड , पहचान पत्र , आधार कार्ड आदि पेश किये है।

हमने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी वकील का कथन है कि उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 1318/1.01 मे हेमराज पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकार्ड है , आराजी खसरा नम्बर 694/1.20 मे हेमराज पुत्र रामचन्द्र दर्ज है।, आराजी खसरा नम्बर 1321/2.21, 1323/1.10 मे जर्ये दानपत्र ई0न0 1907 दिनांक 20.07.2016 में हिम्मतसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 630/0.35 मे जर्ये जर्ये दानपत्र ई0न0 1907 दिनांक 20.07.2016 में हिम्मतसिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। आराजी ख0 न0 1319/0.83 मे हेमराज पुत्र रामचन्दर दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मे प्रार्थी को हिम्मतसिंह एवं हेमराज बोलकर बुलाते थे दोनो एक ही व्यक्ति है। जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाकर अपने समस्त राजस्व रिकार्ड मे अपना सही नाम हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। जो दुरूस्ती काबिल गोर न्यायालय श्रीमान है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र है। प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत संधारित किया गया है। चुंकि प्रकरण इस धारा के अन्तर्गत संधारित होता है। क्योकि इस धारा मे पूर्व मे दर्ज इन्द्राज मे किये गयें लिपिकीय /लेखीय त्रृटियों को दुरस्त किये जाने के प्रावधान हैं। यह प्रार्थना पत्र इन नियमों मे संधारित योग्य पाये जाने के कारण काबिल स्वीकार है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत आराजी ख0न0 654 रकबा 1.20 हैव0, 1321 रकबा 2.21 हैव0, 1323 रकबा 1.10 हैक० किता 3 रकबा 4.51 हैक0, 630 रकबा 0.35 हैक0, 1318 रकबा 1.04 हैक0, 1319 रकबा 0.83 हैक० वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज० में स्थित है में प्रार्थी का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड में हिम्मत सिंह पुत्र रामचन्द्र दर्ज किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हों।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 13/12/2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुल न्यायालय सुनाया गया ।

(मनीष कुमार जाटव)

(R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner